अवस्थापना फंड से शहरी क्षेत्र में अब हो सकेंगे अन्य विकास कार्य

आवास विभाग ने फंड खर्च करने के प्रावधान में किया बदलाव

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। शहरी क्षेत्रों में विकास को रफ्तार देने के लिए आवास विभाग ने अवस्थापना फंड के खर्च की व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। इसके बाद अब शहरों में नाली-खडंजा के साथ ही आम लोगों की सुविधा से संबंधित अन्य छोटे-मोटे कार्य भी इसी फंड से कराए जा सकेंगे। अब तक इस फंड से सिर्फ 12 तरह के ही कार्य कराने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन करते हुए उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं।

सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों को जहां बेहतर नाली, सड़क, सीवर आदि जैसी सुविधाएं आसानी के साथ उपलब्ध हो सकेंगी, वहीं जल जमाव जैसी विकराल समस्या से निजात दिलाने में भी मदद मिलेगी।

अवस्थापना फंड से कराए जाने वाले सभी कार्य अब तक विकास प्राधिकरणों द्वारा कराए जा रहे थे। जबकि नाली निर्माण, गलियों में खड़ंजा लगाने व सीवर से संबंधित कार्य नगर निगमों द्वारा कराया जाता है। चूंकि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति काफी खराब है, इसलिए आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े कार्य कराने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। इसका असर शहरों के विकास पर भी पड़ रहा था। इसके मद्देनजर ही सरकार ने विकास प्राधिकरणों के खाते में आने वाले अवस्थापना फंड के खर्च करने के दायरे का विस्तार किया है। उन कार्यों को भी कराने की अनुमति दे दी है, जो कार्य नगर निगमों द्वारा नहीं कराए जा सकते थे। विकास प्राधिकरणों के मिलने वाले अवस्थापना फंड से शहरी क्षेत्र में नाली, जलनिकासी, सीवर और गलियों के निर्माण का काम भी कराया जा सकेगा।

अवस्थापना फंड से अब तक होते थे ये 12 काम

फंड से अब तक यातायात सुधार संबंधी काम, मिसिंग लिंक रोड निर्माण, पार्किंग का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े सभी कार्य, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, सौर ऊर्जा संयत्र का स्थापना कार्य, शहरी क्षेत्र के जलाशयों का पुनरोद्धार, मास्टर प्लान के मुताबिक सड़कों का निर्माण, चौराहों के सुंदरीकरण व विकास कार्य, पुरानी सड़कों के नवनिर्माण व चौड़ीकरण का कार्य, पार्कों के विकास एवं नये पार्क का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण काम होते रहे हैं।